

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 140 : Bond and security for release of seized goods**

- (1) The seized goods may be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of the goods in **FORM GST INS-04** and furnishing of a security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of applicable tax, interest and penalty payable.

**Explanation-**For the purposes of the rules under the provisions of this Chapter, the “applicable tax” shall include central tax and State tax or central tax and the Union territory tax, as the case may be and the cess, if any, payable under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017).

- (2) In case the person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine, if any, payable in respect of such goods.
-

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 140 : अभिगृहीत माल के निर्माचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति**

- (1) अभिगृहीत माल को, प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04 में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्माचित किया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण-**इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए “लागू कर” के अंतर्गत, माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है।

- (2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्माचन किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता हैं, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा।
-